भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2367
03.08.2026 को उत्तर के लिए

मानव-पशु संघर्ष और वन्यजीव संरक्षण के उपाय

2367. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिकुड़ते वनों, आवास विखंडन और विकासात्मक गतिविधियों के कारण देशभर में मानव-पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान दिया है;
(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसे संघर्षों के परिणामस्वरूप हुई मानव मृत्यु और जंगली जानवरों की मौतों का राज्य-वार और वर्ष-वार डेटा क्या है;
(ग) क्या सरकार मानव-पशु संघर्ष को कम करने और वन आवासों की रक्षा के लिए बफर जोन, वन्यजीव गलियारे और अन्य संरक्षण उपायों के सृजन या विस्तार पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में पहचाने गए राज्यों, प्रस्तावित उपायों, कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा और आवंटित निधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): मानव-वन्यजीव संघर्ष का कारण जनसंख्या में वृद्धि, मानव बस्तियों के विस्तार और वन्यजीव पर्यावासों और गलियारों में विकास परियोजनाओं, और वन्यजीवों हेतु निरंतर संरक्षण प्रयासों के परिणामस्वरूप इनकी संख्या में वृद्धि माना जा सकता है। यह परिस्थिति फसल प्रतिरूपों में परिवर्तन, वन सीमावर्ती क्षेत्रों में आवारा मवेशियों एवं कुत्तों की उपस्थिति, पर्यावासों के विखंडन एवं क्षरण, प्राकृतिक शिकार की उपलब्धता में कमी तथा चराई, ईंधन लकड़ी, चारा एवं अन्य आजीविका संबंधी आवश्यकताओं के लिए वन संसाधनों पर निर्भरता के कारण और अधिक गंभीर हो जाती है।

वन्यजीवों का प्रबंधन, जिसमें मानव–वन्यजीव संघर्ष का शमन भी शामिल है, मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो किसी भी संघर्ष की स्थिति में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता हैं। मंत्रालय में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में बाघों तथा हाथियों के हमलों के कारण हुई मानव मृत्यु का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-**I** एवं अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 380 (1) (जी) के अनुसार देश में 32 प्रमुख बाघ गलियारों को अधिसूचित किया है। एनटीसीए दिशानिर्देश (2012) और मानक संचालन प्रक्रियाएं बाघ और पर्यावास प्रबंधन को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इसी प्रकार, मंत्रालय ने वर्ष 2023 में देश में 150 हाथी गलियारों को भी चिन्हित किया है। परस्पर जुड़े हुए भूदृश्यों में हाथियों के दीर्घकालिक संरक्षण एवं प्रबंधन को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किए जाने हेतु मंत्रालय ने राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ मिलकर भूदृश्य-विशिष्ट क्षेत्रीय कार्य योजनाएँ तैयार की हैं।

अनुलग्नक **I**

“मानव-पशु संघर्ष और वन्यजीव संरक्षण के उपाय” के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2367 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान बाघ के हमले से हुई मानव मृत्यु का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	2021	2022	2023	2024	2025
1	असम	0	0	0	4	0
2	बिहार	1	9	1	2	4
3	छत्तीसगढ़	0	0	3	0	1
4	झारखंड	0	0	0	0	0
5	कर्नाटक	0	1	8	2	0
6	केरल	2	1	1	1	2
7	मध्य प्रदेश	11	3	10	6	9
8	महाराष्ट्र	25	80	37	41	48
9	मिजोरम	0	0	0	0	0
10	ओडिशा	0	0	0	0	0
11	राजस्थान	0	0	2	1	3
12	तमिलनाडु	1	0	1	0	0
13	तेलंगाना	2	0	0	1	0
14	उत्तर प्रदेश	4	11	25	10	2
15	उत्तराखण्ड	0	3	0	5	2
16	पश्चिम बंगाल	5	1	0	1	0
	कुल	51	109	88	74	71

अनुलग्नक II

“मानव-पशु संघर्ष और वन्यजीव संरक्षण के उपाय” के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2367 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान हाथी के हमले से हुई मानव मृत्यु का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	6	4	5	6	11
2	अरुणाचल प्रदेश	2	2	0	0	1
3	असम	91	63	80	74	119
4	छत्तीसगढ़	42	64	69	51	53
5	झारखंड	74	133	96	87	81
6	कर्नाटक	26	27	29	48	36
7	केरल	20	25	22	23	19
8	महाराष्ट्र	0	0	2	5	4
9	मेघालय	6	3	3	7	12
10	नागालैंड	0	0	1	1	0
11	ओडिशा	93	112	148	154	143
12	तमिलनाडु	57	37	43	61	52
13	त्रिपुरा	1	2	2	1	1
14	उत्तर प्रदेश	1	0	4	4	3
15	उत्तराखण्ड	13	12	4	8	10
16	पश्चिम बंगाल	47	77	97	99	79
	कुल	479	561	605	629	624